



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

मि.सं.9-27/2018-Admn. 11473

24/08/2018


परिपत्र सं.27/2018-19

संदर्भ : मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पत्र सं. फा. सं. 13035-13/2016-रा.भा.ए. दिनांक 24/06/2018

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति बैठक की दिनांक 14/05/2018 को हुई थी जिसमें लिए गए निर्णयों के अनुपालनात्मक कार्यवाही के अनुसंधान में गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:-

1. धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये;
2. मूल पत्राचार हिंदी में किया जाये;
3. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं;
4. फाइलों पर कार्य हिंदी में किया जाए; तथा
5. शोध ऐसे विषयों पर किया जाए जिससे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का उन्नयन हो।

कृपया उपरोक्त विषयों पर आवश्यक कार्यवाही करे तथा की गई कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने की व्यवस्था करें।


कुलसचिवश्री (स्था.)

प्रतिलिपि:

1. सभी अधिष्ठाता
2. निर्देशक सेक्टर 30
3. डी.एस.डब्लू.
4. प्रोवोस्ट
5. वित्त अधिकारी
6. परीक्षा नियंत्रक
7. सभी विभागों के विभागाध्यक्षों / केंद्र के संयोजकों (ईमेल द्वारा सूचित)
8. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी (ईमेल द्वारा सूचित)
9. सभी वॉर्डन
10. आई. सी. टी. अध्यक्ष – इस अनुरोध के साथ की इस परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
12. सचिवालय (कुलपतिश्री)
13. वित्त एवं लेखा विभाग
14. प्रवेश एवं मूल्यांकन विभाग
15. अधिष्ठाता कार्यालय (सेक्टर 29 एवं 30 केम्पस)
16. परिपत्र फ़ाइल
17. चौकीदार फ़ाइल

सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in